संख्या-04/2022 /2594 ई-2/तेरह-2021-1587754

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषय- मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड , इकाई-मैजापुर , जनपद-गोण्डा में 343 कि.ली. प्रतिदिन की ग्रेन/शीरे तथा केन जूस/ सीरप पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के **सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : जी -101/ दो-प्रा.डी.-239/ मैजापुर, दिनांक 31-12-2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग ,उ.प्र.शासन की अध्यक्षता गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त संख्याः-35/ई-2/तेरह-2022 दिनांक 05-01-2022-1587754 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, इकाई-मैजापुर, जनपद-गोण्डा को 343 कि. ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1200.50 लाख लीटर वार्षिक अधिश्ठापित क्षमता की अनाज, शीरे तथा केन जूस/ सीरप पर आधारित डुअल मोड की औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत 1130.50 लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं 70 लाख लीटर वार्षिक ई . एन . ए . का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ दी जाती है:-

(1) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर- 3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव , उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा शासनादेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश में गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल अल्कोहल निर्माण किये जाने हेतु आयुक्त , गन्ना एवं चीनी , उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 20.12.2021 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का पालन किया जायेगा तथा प्रस्तावित आसवनी में केन जूस से एथनॉल उत्पादन किये जाने पर देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरा नीति के अनुसार शीरा/ ई.एन.ए. की देयता लागू रहेगी। आसवनी द्वारा केन जूस से एथनॉल उत्पादन में प्रयोग किये गये गन्ने के आधार पर उसके समूह की दूसरी चीनी मिल से सी-हैवी/ बी-हैवी शीरे की देशी मदिरा निर्माण के लिए आपूर्ति की जायेगी।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।'

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।